राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
प्रगति विवरण वर्ष 2019–20
(फरवरी 2020 तक)

बोर्ड द्वारा मुख्यतया राज्य में कृषकों को कृषि उपज के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए मण्डी प्रांगणों में विकास कार्य व फसलोत्तर प्रबंधन का कार्य सम्पादित किया जाता है। फसलोत्तर प्रबन्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

- राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणो के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं से परियोजनाए स्वीकृत कराना एवं परियोजनाओं के अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत ग्रामीण भाग में सी.सी. पेवमेन्ट (सड़क) एवं कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों (मिसिंग लिंक) का निर्माण कार्य।
- राज्य के उत्पाद विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मण्डियों की परियोजना तैयार कर उन्हें विकसित करना।
- फसलोत्तर प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विपणन संबंधी कार्यकलापों का प्रचार–प्रसार।
- कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019

राज्य के किसानों की आय में वृद्धि किये जाने एवं कृषि आधारित उधोगों के प्रोत्साहन की दृष्टि से राज्य में 17 दिसम्बर 2019 को राजस्थान कृषि प्रंसस्करण, कृषि व्यवसाय, एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 जारी की गई है। योजनान्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 2 करोड़ रूपये तक के अनुदान का प्रावधान है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम (कृषि प्रसंस्करण)

स्थानीय स्तर पर उत्पादित फसलों के अनुसार कृषकों के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा माह फरवरी 2020 तक कुल 40 केद्रों पर प्रशिक्षण पूर्ण करवाये गये है । मार्च 2020 से प्रति माह लगभग 40 केन्द्रों पर शुरू करवाये जाकर छः माह में समस्त पंचायत समितियों में प्रशिक्षण पूर्ण करवा लिये जावेंगे ।

कृषि निर्यात संवर्धन

कृषि निर्यात को बढावा देने हेतु कृषि विपणन बोर्ड को राज्य स्तरी नोडल ऐजन्सी बनाया गया है।

कृषक कल्याण कोष का गठन

राज्य के किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने एवं कृषकों के कल्याण की दृष्टि से 16 दिसम्बर, 2019 को अध्यादेश जारी किया जाकर राशि रूपये 1 हजार करोड के कोष का गठन किया गया है।

निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 में मण्डी यार्डों के निर्माण व रख–रखाव और अन्य विभागों के डिपोजिट कार्यों पर कुल 285.00 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। आलोच्य माह तक **7908.53** लाख रूपये भवन निर्माण, **5190.64** लाख रूपये सड़क निर्माण व **11249.84** लाख रूपये डिपोजिट कार्यों पर व्यय किये गये। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में माह फरवरी 2020 तक कुल **24349.01** लाख रूपये निर्माण कार्यो पर व्यय किये गये एवं माह फरवरी 2020 तक **257.93** किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया गया।

एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण

राज्य में अब तक सात एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति यथा श्रीगंगानगर, कोटा, खैरथल (अलवर), बहरोड (अलवर), निवाई (टोंक), उदयपुर व निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) में क्रमशः 1387.00, 1260.68, 708.44, 694.15, 904.89, 1400.00 व 1370.40 लाख रूपये की राशि से स्वीकृत किये गये थे। श्रीगंगानगर, कोटा व खैरथल एग्रो ट्रेड टॉवर का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बहरोड, निवाई व उदयपुर का कार्य प्रगति पर है। दिनांक 17.04.2018 को स्वीकृत नवीनतम एग्रो ट्रेड टॉवर निम्बाहेडा की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनके निर्माण कार्य पर अब तक कुल **4596.27** लाख रूपये व्यय हुये हैं। एग्रो ट्रेड टॉवरों में दुकानें, बैंक, रेस्टोरेन्ट, ए.टी.एम. आदि मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

किसान भवन

किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने, कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्धेश्य से समस्त संभागीय व जिला स्तर पर किसान भवन बनाये गये है। जयपुर किसान भवन का संचालन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त सभी किसान भवनों का संचालन कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किया जा रहा है।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009

योजना के अंतर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय एवं गांव से मण्डी तक विक्रय करने व अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5000/– रूपये से 2,00,000/– रूपये तक दी जा रही है। वर्ष 2019–20 में आलोच्य अवधि तक **3125** व्यक्तियों को राशि **4457.07** लाख रूपये की आर्थिक सहायता का संबंधित मण्डियों को पुर्नभरण किया गया।